(43)

संख्या-29 /X-2-2012-12(44)/2006

प्रेषक,

सुशांत पटनायक
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन
उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 08 फरवरी, 2012

विषयः- अनुदान सं0-27 के आयोजनागत पक्ष की केन्द्र पुरोनिधानित योजना "प्रोजेक्ट टाइगर" के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 की वित्तीय स्वीकृति.

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के पत्र सं0-4-1(1)/2011-PT दिनांक 01 अगस्त, 2011 तथा आपके पत्र सं0-नि. 998/3-6(प्रोजेक्ट टाइगर) दिनांक 08 दिसम्बर, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अन्तर्गत संचालित ''प्रोजेक्ट टाइगर'' योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में पूर्व में निर्गत वित्तीय स्वीकृती ₹354.00 लाख के अतिरिक्त **₹1,58,35,000/-(₹ एक करोड़ अठावन लाख पैंतीस हजार मात्र)** की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का उपयोग एन0टी0सी0ए0, फील्ड डायरेक्टर (कार्बेट टाइगर रिजर्व) तथा उत्तराखण्ड सरकार के मध्यम हुए एम0ओ0यू0 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार एवं भारत सरकार द्वारा उनके उक्त पत्र दिनांक 08.08.2011 में इंगित कार्यों तथा सम्बन्धित कार्यों हेतु स्वीकृत राशि के अन्तर्गत यदि किसी मद विशेष में अवमुक्त की जा रही धनराशि व भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 08.08.2011 में कार्य मदवार इंगित धनराशि में भिन्नता होगी तो सम्बन्धित कार्य मद में भारत सरकार के उक्त पत्र द्वारा स्वीकृत धनराशि अथवा इस आदेश द्वारा स्वीकृत धनराशि, जो भी कम हो, ही व्यय की जायेगी तथा इस प्रकार किया जाने वाला व्यय कार्बेट टाइगर रिजर्व के लिए ही होगा।

(2) उक्त धनराशि वर्णित योजना हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदित कार्य योजना अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों/मदों पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों के कियान्वयन के लिए न किया जाय।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाय. शासन द्वारा वांछित सूचनायें एवं विवरण निर्धारित प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1(लेखा नियम), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-7, आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, तथा समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.

(4) आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0-17 पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा.

(5) बी0एम0-13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 05 तारिख तक पूर्ण माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय.

(6) यह संज्ञान में आया है कि धनराशि विभागाध्यक्षों के निवर्तन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्षों द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है. अतः आपके निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो, परन्तु यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि धनराशि का आहरण वास्तविक मांग आधार पर किश्तों में किया जाय.

क्रमशः :....2

(7) व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है. अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.

(8) मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी.

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चि किया जाय.

(10) अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत समय से समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.

(11) निर्माण कार्यों के लागत व समय वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्यवाही व संघन अनुश्रवण किया जायेगा एवं इस हेतु बजट मैनुअल के प्रस्तर-211(डी) की अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी। वृहद निर्माण कार्य मद अन्तर्गत कार्यों को क्रियान्वित करने से पूर्व टी0ए0सी0 एवं अन्य सक्षम स्तर से परीक्षण तथा तकनीकि, वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

(12) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना यथा आवश्यतानुसार सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-1638/XXX-1-12(25)/2011 दिनांक 08 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वैब साइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वैब साइट यदि कोई हो पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय-समय पर अध्यावधिक किया जायेगा.

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक अनुदान सं0-27 के लेखाशीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 110-वन्य जीवन परिरक्षण 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 0108-''प्रोजेक्ट टाइगर'' हेतु निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार संगत मदों के नामे डाला जायेगा:-

(धनराशि ₹ हजार में)

क्र0 सं0	मानक मद	परिव्यय (मूल परिव्यय ₹120.00 लाख + ₹119.00 लाख वन विभाग के कर्मचारियों/ अधिकारियों के प्रशिक्षण योजना से व्यावर्तन के द्वारा)	आय-व्ययक प्रावधान (अनुपूरक अनुदान सहित)	पूर्व में निर्गत वित्तीय स्वीकृति	अवशेष बजट	प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति
1	06-अन्य भत्तें		3554	0	3554	2840
2	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि की खरीद		3000	1500	1500	900
4	18-प्रकाशन		400	200	200	200
9	29-अनुरक्षण		26140	10000	16140	11895
	योग	**23900**	**33094**	**11700**	**21394**	**15835**

(वर्तमान स्वीकृति ₹ एक करोड़ अठावन लाख पैंतीस हजार मात्र)

3. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-329(P)/XXVII(4)/2011, दिनांक 02 फरवरी, 2012 द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है.

भवदीय

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

क्रमशः.....3

संख्या-229 (1)/X-2-2012, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
2. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून.
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून.
5. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून.
6. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून. .
7. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन.
9. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल.
10. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
11. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
12. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
13. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
14. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
15. प्रभारी, मिडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
16. गार्ड फाइल (जे).

आज्ञा से,

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव